

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 81] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 16, 1978/माघ 27, 1899
No. 81] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 16, 1978/MAGHA 27, 1899

इस भाग में निम्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वाणिज्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 फरवरी, 1978

काफी नियंत्रण

का०अ० 103(अ).—काफी नियम 1955 के नियम 4 के उप-नियम (1) के साथ पठित
काफी अधिनियम 1942 (1942 का 7) की धारा 4 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) के
अनुसरण में केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित तीन संसद् सदस्यों का काफी बोर्ड के सदस्यों के रूप
में निर्वाचित एमद्वारा अधिसूचित करती है और निवेश देती है कि उक्त सदस्यों में से प्रत्येक
सदस्य सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के
लिये अथवा तब तक के लिये अपने पद पर बना रहेगा, जब तक कि उसकी संसद् के उस सदन
331 GI/77 (217)

की सवस्वता समाप्त नहीं हो जाती जिसके द्वारा वह निर्वाचित किया गया था, जो भी पहले हो, प्रयत्न :—

- | | |
|--|------------------------|
| 1. श्री कुमारी अनन्तन, 3, स्टेट बैंक कालोनी, नेसामनी नगर, नगरकॉल, तमिलनाडु । | } लोक सभा के प्रतिनिधि |
| 2. श्री. जनार्दन पुजारी, एडवोकेट, मातादकनी रोड, मंगलूर-6, कर्नाटक । | |
| 3. श्री यू०के० लक्ष्मण गौड़ा, उर्विनखान एस्टेट, जावाली पोस्ट मुदिगर तालुक, जिला चिकमागलूर, कर्नाटक । | राज्य सभा के प्रतिनिधि |

[फाइल सं० 1(3)/77-प्लांट (बी०)]

पी० के० कौल, धवर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th February, 1978

COFFEE CONTROL

S.O. 103(E).—In pursuance of clause (b) of Sub-section (2) of Section 4 of the Coffee Act, 1942 (7 of 1942) read with sub-rule (1) of rules 4 of the Coffee Rules, 1955, the Central Government hereby notifies the election of the following three members of Parliament as members of the Coffee Board and direct that each of the said members shall hold office for a period of three years or until he ceases to be a member of the House of Parliament by which he was elected, whichever is earlier, with effect from the date of publication of this notification in the official gazette namely :—

- | | |
|---|---------------------------------------|
| 1. Shri Kumari Ananthan,
3, State Bank Colony,
Nesamony Nagar, Nagarcoll,
Tamil Nadu. | } Representative of the Lok Sabha |
| 2. Sh. Janardhana Poojary,
Advocate, Matadakani
Road, Mangalore-6,
Karnataka. | |
| 3. Shri U. K. Lakshmana Gowda,
Urvinkhan Estate,
Javali Post, Mudiger Taluk,
Chickmagalur Distt.
Karnataka. | Representative of the Rajya
Sabha. |

[F. No. 1(3)/77-Plant (B)]

P. K. KAUL, Addl. Secy.